छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 466/2006</u>

श्री अनिल कुमार सिदार,
ब्लॉक कालोनी, म0नं0 एच–24/2,
जांजगीर,
जिला–जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय छत्तीसगढ़ लोक सेवा
आयोग, रायपुर (छत्तीसगढ़)
.... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 09 जनवरी 2007)

श्री अनिल कुमार सिदार निवासी–जांजगीर चांपा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक ने अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उसके द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2003 में अनिवार्य विषयों में प्रत्येक प्रश्न में तथा उन प्रश्नों के उप–प्रश्नों में उसके द्वारा अर्जित किये गये अंक एवं वैकल्पिक विषयों इतिहास एवं लोक प्रशासन में प्रत्येक प्रश्न में अर्जित किये गये अंक की जानकारी चाही। जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा उसे अनिवार्य एवं ऐच्छिक विषयों की कुल अंकों की जानकारी पत्र दिनांक 28–07–2006 के द्वारा दी गई तथा उसे सूचित किया गया कि प्रश्नवार अंकों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसके विरूद्ध अपीलार्थी ने अपील सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध उसने द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा दोनों पक्षों को के द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा उसकी उत्तरपुस्तिकाओं में दिये गये प्रश्नवार अंकों की जानकारी चाही थी, जबकि उसे दी गई परीक्षा के विषयों में कुल अंकों की जानकारी दी गई। प्रतिअपीलार्थी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि उपप्रश्नवार प्राप्त अंकों की जानकारी उत्तरपुस्तिका के अवलोकन के बिना ज्ञात नहीं की जा सकती। उत्तरपुस्तिका के अवलोकन से मूल्यांकनकर्ता की निजता पर अतिक्रमण होता है तथा प्रतियोगी परीक्षा की विश्वसनीयता भंग होती है। प्रकरण से स्पष्ट है कि प्रश्नवार एवं उपप्रश्नवार जानकारी दिया जाने से प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता एवं गोपनीयता प्रभावित होगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–8(1)(जे)(इ) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना उपलब्ध कराना लोकहित में आवश्यक नहीं है और न ही इसके प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होगा। अपीलार्थी को उसके द्वारा दी गई परीक्षा के विषयवार प्राप्त अंकों की जानकारी दे दी गई है, जो कि पर्याप्त है।

4/ अतः उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त